(घ) क्या संसाधनों के अभाव में स्कूलों/कालेजों में बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है और क्या सरकार इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और उनका सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा विकास व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है । राज्य विश्वविद्यालय राज्य विधान-मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किये जाते है और उनका अनुरक्षण व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य सरकारों को केवल उनके योजनागत कार्यक्रमों तथा वह भी उनकी आवश्यकताओं के एक भाग के रूप में वित्तीय-सहायता प्रदान करता है । मुख्य रूप से राज्य सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वे उनके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों को उचित योजनागत अनुदान प्रदान करें । योजनागत और योजनेत्तर के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तीय घाटे के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई सूचना नहीं रखी जाती है । जहां तक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदानों में घाटे का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) स्कूल/कालेज सामान्यतया राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों या निजी प्रबन्धों/न्यासों द्वारा स्थापित किये जाते हैं और विश्वविद्यालय संसद और राज्य विधान मंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं । इन संस्थाओं में निर्धारित स्तर की मूलभूत सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्यतया उस एजेंसी की है, जो संबंधित संस्था को स्थापित करती है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

फतेहपुर सीकरी की ऐतिहासिक इमारतों को खतरा

565. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फतेहपुर सीकरी में बारूद से किए जा रहे विस्फोटों से उस क्षेत्र का कुछ ऐतिहासिक इमारतों के लिए भारी खतरा उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र का ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) और (ख) फतेहपुर सीकरी के संरक्षित पुरातत्वीय क्षेत्र के बाहर खान की खुदाई का कार्य राज्य सरकार की विशेष अनुमति से किया गया है । डायनामाइट का प्रयोग मनाही है । तो भी, इक्के-दुक्के उदाहरण हैं डायनामाइट का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया गया है । जब ऐसा होता है, तब स्थानीय प्राधिकारियों से कहा जाता है कि वे ऐसा अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही करें, ताकि आसपास के स्मारकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ।